रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2019/माघ 8, 1940
No. 24] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2019/MAGHA 8, 1940

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2019

सं. एल–1/(3)/2009–केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, समय–समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019 है।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ख)(i)(क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

"(क) ''250 मेगावाट और उससे अधिक जिसमें 250 मेगावाट और उससे अधिक के निर्यात योग्य क्षमता के कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी हैं, की क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से भिन्न उत्पादन केन्द्र या,''

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ख)(i)(क) के पश्चात् निम्नलिखित उप–खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

''(कक) 50 मेगावाट और उससे अधिक संस्थापित क्षमता वाले सहित एक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र, या''

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड(1) के उपखण्ड(ख)(i)(ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

"(ख) 50 मेगावाट और 250 मेगावाट और उससे अधिक संस्थापित क्षमता वाले हाइड्रो उत्पादन केन्द्र''

(4) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड(1) के उपखण्ड(ख)(i)(ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

''(ग) 50 मेगावाट संस्थापित क्षमता से कम वाला अलग से लेकिन 50 मेगावाट और अधिक की कुल संस्थापित क्षमता वाला सामूहिक रूप से तथा इन सभी उत्पादन केन्द्रों या स्टैण्डअलॉन भंडारण परियोजना की ओर से कार्य करने वाला, और आईएसटीएस के भाग स्वरूप पूलिंग उपकेन्द्र पर एकल संयोजन बिंदु पर सीटीयू से संयोजन की मांग करते हुए एक हाइड्रो उत्पादन केन्द्र या स्टैण्डअलॉन स्टोरेज प्रोजेक्ट या'' को अग्रणी उत्पादक के रूप में अभिहित किया गया, या''

(5) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड(1) के उपखण्ड(ख)(i)(ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

''(गग) 50 मेगावाट की संस्थापित क्षमता से कम वाला व्यष्टिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लेकिन 50 मेगावाट और उससे अधिक की कुल संस्थापित क्षमता वाला सामूहिक रूप से उनमें से और इन सभी उत्पादन केन्द्रों की ओर से कार्य करने वाला एक तथा आईएसटीएस का भाग स्वरूप पूलिंग उपकेन्द्र पर सिंगल कनेक्शन प्वाइंट पर सीटीयू से कनेक्शन की मांग करते हुए अग्रणी उत्पादक के रूप में अभिहित किया गया है, या''

(6) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख)(ii)(ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः
''(ङ) इस खण्ड के (गग) के उपखण्ड (ख)(i)(क) में उल्लिखित वर्णन के विद्यमान उत्पादन केन्द्र के परिसरों के भीतर या बाहर उत्पादन कंपनी द्वारा विकसित 5 मेगावाट क्षमता और उससे अधिक का कोई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र और सीटीयू द्वारा यथानिर्धारित विद्यमान केन्द्र में संयोजकता, क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन उत्पादन केन्द्र के इलेक्ट्रिकल प्रणाली के माध्यम से अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ विद्यमान संयोजन केन्द्र के लिए संयोजकता की मांग करना।''

(7) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख)(i)(ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

''(ङङ) इस खण्ड के उपखण्ड (ख)(i)(छ) में निर्दिष्ट प्रकार के विद्यमान ऊर्जा पार्क के परिसरों के भीतर या बाहर नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकासकर्ता द्वारा विकसित 5 मेगावाट क्षमता और उससे अधिक की क्षमता का कोई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र और सीटीयू द्वारा यथानिर्धारित विद्यमान ऊर्जा पार्क में संयोजकता, क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के इलेक्ट्रिकल प्रणाली के माध्यम से अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ विद्यमान संयोजन केन्द्र के लिए संयोजकता की मांग करना।''

(8) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख)(i)(च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

''(च) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकासकर्ता के रूप में प्राधिकृत कोई कंपनी या इकाई या''

(9) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख)(i)(च) के पश्चात् निम्नलिखित दो उपखण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्

''(छ) खण्ड 2(1)(ख)(i)(कक) और खण्ड 2(1)(ख)(i)(गग) के अधीन वर्णित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई कंपनी या इकाई या;

''(ज) 50 मेगावाट या उससे अधिक की संस्थापित क्षमता का स्टैण्डअलॉन भंडारण स्रोत (स्रोतों) पर आधारित परियोजना

(10) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख)(ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"(ii), यथास्थिति, दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, के संबंध में खण्ड 2(1)(ख)(i)(क) से ङ और 2(1)(ख)(i)(ज) के अधीन आने वाले आवेदक या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यापारी, ग्राहक, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित उत्पादन केन्द्र''

(11) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख)(iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(iii) दीर्घकालिक पहुंच की बाबत खण्ड 2(1)(ख)(i)(च) और 2(1)(ख)(i)(छ) के अधीन आने वाले आवेदक''

(12) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाएगा,

"(टक) ''नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी'' से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र (केन्द्रो) से विद्युत के चयन एवं क्रय के लिए और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार एक या अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को उसका विक्रय करने के लिए मध्यस्थ उपाप्त के रूप में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित कंपनी या इकाई अभिप्रेत है।''

(13) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्

"(दक) ''नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र से ऊर्जा के किसी नवीकरणीय स्रोत पर आधारित उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है और इसमें नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन केन्द्र शामिल होगा।

''(दख) ''नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन केन्द्र'' से भंडारण सहित या उसके बिना किसी नवीकरणीय स्रोत के हाइब्रिड पर आधारित उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है।

''(दग) ''नवीकरणीय हाइब्रिड पावर पार्क'' से भंडारण सहित या उसके बिना किसी नवीकरणीय स्रोतों के हाइब्रिड पर आधारित ऊर्जा पार्क अभिप्रेत है।

''(दघ) ''नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकासकर्ता'' से सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता या पवन ऊर्जा पार्क विकासकर्ता या नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा पार्क विकासकर्ता अभिप्रेत है।''

(14) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उपखण्ड (प) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगाः

"(पक) ''भंडारण'' से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को भंडारित करने और विद्युत के रूप में भंडारित की गई ऊर्जा का परिदान करने के लिए सॉलिड स्टेट बैटरियों, फ्लो बैटरियों, पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर, कम्प्रेस एयर या किसी अन्य तकनीक जैसी पद्धतियों और तकनीकियों का उपयोग करने वाली ऊर्जा भंडारण प्रणाली अभिप्रेत है।''

3. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 5 के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

''परन्तु यह कि किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयोजकता के लिए आवेदन किया जाना अपेक्षित नहीं है''

(2) विद्यमान विनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (5क) जोड़ा जाएगाः

''(5क) आवेदनों पर कार्यवाही करना

(क) सभी आवेदन विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन किए जाएंगे।

(ख) ऑनलाइन प्राप्त किए गए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पर समय तथा तारीख की मोहर होगी। इसके अतिरिक्त माह के अंतिम दिन के चौबीस घण्टों तक प्राप्त किए गए ऐसे आवेदन माह के दौरान प्राप्त माने जाएंगे और उन पर माह के अंत के बाद कार्यवाही की जाएगी।

(ग) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने पर, नोडल अभिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के लिए स्वजनित पावती जारी की जाएगी।

(घ) संवीक्षा के पश्चात्, नोडल अभिकरण आवेदन के प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आवेदक को आवेदन में कमियों के बारे में, यदि कोई हैं, सूचित करेगा। आवेदक एक सप्ताह के अंदर कमी को दूर करेगा और जिसके न होने की स्थिति में आवेदन बंद हो जाएगा और आवेदन फीस का 20 प्रतिशत जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि वापस की जाएगी तथा बैंक गारंटी यदि कोई है, आवेदन की बंद होने के 15 दिन के अंदर वापस की जाएगी। यदि परिशोधित

आवेदन माह के अंतिम दिन के 24 घण्टे के बाद, जिसमें आवेदन किया गया है, आवेदक से प्राप्त हुआ है तो आवेदन परवर्ती माह में किया माना जाएगा और तदनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी।''

(4) **मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधनः**

(1) विनियम 8(1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

''परन्तु यह कि जहां आवेदन फाइल करने के पश्चात् 100 मेगावाट से अधिक या संस्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ अंतःपरिवर्तन की जाने वाली विद्युत की मात्रा में या स्थान में सारवान् परिवर्तन रहा है, उपखण्ड (ख)(i)(क), (ख)(i)(कक), (ख)(i)(ख), (ख)(i)(घ), (ख)(i)(ङ), (ख)(i)(च), (ख)(i)(छ), (ख)(i)(ज) के अधीन परिभाषित आवेदक के और कुल संस्थापित क्षमता के 100 मेगावाट या 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दशा में विनियम 2 के खण्ड(1) के उपखण्ड(ख)(i)(ग) और (ख)(i)(गग) के अधीन परिभाषित आवेदन की दशा में ऐसा आवेदक एक नया आवेदन करेगा जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

बशर्ते यह और कि अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ अंतःपरिवर्तित की जाने वाली विद्युत की मात्रा में ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि आवेदक खण्ड(2)(1)(ख) के अधीन पात्र हो।''

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खण्ड(1) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित एक नया परन्तुक जोड़ा जाएगाः

''परन्तु कि ग्रिड के साथ संबद्ध या विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए प्रदान की गई संयोजकता सहित आवेदक सीटीयू के पूर्व अनुमोदन से इस शर्त के अध्यधीन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए वही संयोजकता (नवीकरणीय स्रोतों की वही या हाइब्रिड के लिए) प्रयोग कर सकता है कि किसी भी समय पर निवल अंतःक्षेपण मूल परियोजना के लिए प्रदान की गई कुल संयोजकता की मात्रा से अधिक नहीं हो। ऐसी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए, उक्त उत्पादन केन्द्र भारतीय विद्युत ग्रिड और ग्रिड सुरक्षा, अनुसूचीकरण और प्रेषण, वसूली और भुगतान/पारेषण प्रभारों का समायोजन, विचलन के लिए प्रभार, संकुलन और अन्य प्रभार इत्यादि जैसे आयोग के अन्य सभी विनियमों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त क्षमता के लिए सभी प्रचालनगत और वाणिज्यिक उत्तरदायित्व के लिए दायी होगा और उस संबंधित आरएलडीसी को, जिसके नियंत्रण क्षेत्र में यह स्थित है, को प्रतिलिपि सहित सीटीयू को इस संबंध में निर्धारित फार्मेट में वचनपत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदक अतिरिक्त क्षमता के लिए संयोजकता के लिए सीटीयू को आवेदन करेगा और इन विनियमों के विनियम 6 में यथापरिभाषित आवेदन फीस का संदाय करेगा।''

(3) इसके अतिरिक्त विनियम 8(1) के तीसरे परंतुक में (छठा संशोधन के पश्चात्), ''और विनियम 2(1)(ख)(i)(गग)'' शब्दों को ''बशर्ते यह कि विनियम2(1)(ख)(i)(ग) के अधीन परिभाषित आवेदक द्वारा आवेदन'' शब्दों के बाद जोड़ा जाएगा।''

(4) विनियम 8(1) के चौथे परन्तुक (छठे संशोधन के पश्चात्) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः

''परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकासकर्ता उन अवसंरचनात्मक गतिविधियों जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की ओर से संयोजकता के लिए व्यवस्था भी सम्मिलित है, को करने के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।''

(5) मूल विनियम के विनियम 8 के विद्यमान खण्ड(1) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया खण्ड(1क) जोड़ा जाएगाः

''(1क) भंडारण स्रोत(स्रोतों) पर आधारित परियोजनाओं पर अधिकतम अंतःक्षेपण या अधिकतम निकासी की मात्रा, जो भी अधिक हो, के लिए संयोजकता के लिए लागू होगी और विद्युत के अंतःक्षेपण और निकासी दोनों के लिए अलग करार पर हस्ताक्षर करेंगे।

(6) मूल विनियम के विनियम 8 के खण्ड(2) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़े जाएंगेः

''(2क) विनियम के खण्ड(1)(ख)(i) के उपखण्ड(कक), (गग), (च), (छ), (ज) के अधीन आने वाले आवेदकों द्वारा संयोजकता प्रदान करने के लिए किए गए आवेदनों को निम्नलिखित दो चरणों में कार्यवाही की जाएगीः
(क) स्टेज–1 संयोजकता
(ख) स्टेज–2 संयोजकता

(2ख) स्टेज–1 और स्टेज–2 संयोजकता प्रदान करना, समय–समय पर जारी की गई, विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार होगा।

परन्तु यह कि फाइल सं. एल–1(3)/2009/केविविआ में तारीख 15.5.2018 के आदेश के माध्यम से जारी की गई अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया इन नियमों के अधीन जारी की गई समझी जाएगी।

(2ग) विनियम 2 के खण्ड(1) के उपखण्ड(ख)(i)(छ) के अधीन आने वाले आवेदक के मामले में, ऐसे आवेदक को प्रदान की गई संयोजकता और एलटीए परियोजना के अवार्ड के पश्चात् उक्त आवेदकों द्वारा चयन किए गए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के पक्ष में भागतः या पूर्णतः अंतरित या समनुदेशित किए जा सकेंगे। संयोजकता और एलटीए के अंतरण या समनुदेशन ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र, सीटीयू के साथ संयोजकता तथा एलटीए करार करेंगे और इन विनियमों और विस्तृत प्रक्रिया के अधीन यथाअपेक्षित संयोजकता के लिए सभी उत्तरदायित्व और देयताएं स्वीकार करेंगे:

परन्तु यह कि इस प्रकार के अंतरण या समनुदेशन के लिए ऐसे आवेदक अनुदत संयोजकता और एलटीए के सभी विनियामक, प्रचालनगत और वाणिज्यिक बाध्यताओं के लिए दायी होगा।

परन्तु यह और कि अंतरण या समनुदेशन पर, अंतरिती नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र अंतरिती या समनुदेशित संयोजकता और एलटीए की मात्रा के लिए अनुदत संयोजकता और एलटीए के सभी विनियामक और वाणिज्यिक दायित्वों के लिए दायी होंगे।''

(7) मूल विनियम के विनियम 8 के खण्ड(3) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपखण्ड जोड़ा जाएगा:

''3(क) किसी अन्य विनियम या प्रक्रिया के प्रतिकूल किसी उपबंध के होते हुए भी, विनियम 2 के खण्ड(1)(ख)(i) के उपखण्ड(कक), (गग), (च), (छ), (ज) के अधीन आने वाले आवेदक के लिए सीटीयू उक्त खण्ड(3) के अनुसार केवल एक अवस्थान को उपदर्शित करते हुए सीटीयू द्वारा स्टेज–1 संयोजकता प्रदान की जाएगी और इस विनियम के खण्ड 3 के अनुसार यथाअपेक्षित ऐसी अन्य सूचना के अनुसार होगी:

परन्तु यह कि यदि उक्त अवस्थान में क्षमता पूर्णतया स्टेज 2 ग्रांटी को आंवटित की गई है तो शेष स्टेज 1 ग्रांटी विक्लपित स्थान में स्टेज 2 संयोजकता आंवटित की जाएगी।''

(8) मूल विनियम के विनियम 8 के उपखण्ड(8) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

''आवेदक उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञधिारी (डीम्ड पारेषण अनुज्ञधिारी सहित) के पूलिगं स्टेशन के लिए उत्पादन कंपनी की ओर से कोई अन्य ईकाई के उत्पादन केन्द्र से समर्पित पारेषण लाईन उत्पादन कंपनी की ओर से कोई अन्य ईकाई या आवेदक उत्पादक कंपनी द्वारा विकसित की जाएगी, उसके स्वामित्वाधीन होगी और उसके द्वारा प्रचालित की जाएगी। समर्पित पारेषण लाईनों के लिए विनिर्देशन सीटीयू द्वारा संयोजकता या दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करते समय उपदर्शित की जा सकेगी।

परन्तु यह कि सीटीयू ऐसी प्रणाली की योजना करेगा कि समर्पित पारेषण लाइन की अधिकतम लम्बाई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की नजदीकी पूलिंग उपकेन्द्र तक आवेदक के स्विचयार्ड से 100 किलोमीटर से अधिक न हो:

परन्तु यह कि समर्पित पारेषण लाइन 100 किलोमीटर से अधिक हो सकती है यदि आवेदक उसका चयन करता है:

परन्तु यह कि यदि कोई संयोजकता ग्रांटी आईएसटीएस उपकेन्द्र को आंवटित बे का उपयोग नही करता है तो सीटीयू इन विनियमो और विस्तृत प्रक्रिया के उपबंधो के अनुसार संयोजकता को रदद् सकता है और अन्य आवेदको को व आवंटित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, मूल ग्रांटी बे को निर्धारित करेगा या संयोजकता के रदद् होने के दो माह की अवधि के भीतर बे के उपयोग के लिए सीटीयू द्वारा उपदर्शित करार करेगा।

(9) मूल विनियम के विनियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित एक नया खण्ड जोड़ा जाएगा:

''**8(क). संयोजकता और एलटीए का अंतरण**

8(क) कोई व्यक्ति अपनी संयोजकता या एलटीए का पूर्णतः या भागतः या और किसी अन्य व्यक्ति से संबद्ध अधिकारों और बाध्यताओं का अंतरण समनुदेशन या गिरवी नहीं रखेगा:

परन्तु यह कि उक्त उपबंध विनियम2(1)(ख)(i)(छ) के अधीन परिभाषित आवेदकों को लागू नहीं होगा:

परन्तु यह कि मूल कंपनी से 100 प्रतिशत अनुषंगी कंपनियां मूल कंपनी को उनकी संयोजकता और एलटीए अंतरण की अनुमति होगी और इसके विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) के वाणिज्यिक प्रचालन की प्राप्ति के बाद एक वर्ष की अनुमति होगी:

परन्तु यह कि एक से अधिक 100 प्रतिशत समानुषंगी कंपनी को संयोजकता तथा एलटीए अंतरित करने की अनुज्ञा अंतिम समानुषंगी के उत्पादन क्षेत्र के उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन के एक वर्ष पश्चात् तथा विनियम 2(क)(ख) के अनुसार अधिकतम क्षमता के अधीन रहते हुए दी जाएगी:

परन्तु यह कि ऐसी संयोजकता और एलटीए के अंतरित होने तक संबंधित अनुषंगी कंपनी (कंपनियों) को मूल कंपनी को और इसके विपरित प्रदान की गई संयोजकता और एलटीए के उपयोग की अनुमति होगी।''

5. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन

(1) मूल विनियम के विनियम 9 के खण्ड(1) में ''अवार्डिंग'' शब्द के स्थान पर ''प्रदान करना'' शब्द रखे जाएंगे:

6. मूल विनियम के विनियम 12 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 12 के खण्ड(1) के तीसरे परन्तुक में, शब्द ''नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र(केन्द्रों) को शामिल करने वाले मामलों को छोड़कर'', ''परन्तु यह भी कि'' शब्दों के पश्चात् जोड़े जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 12 के खण्ड(1) के पांचवें परन्तुक में ''या 40 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, विनियम 8(1) के प्रथम परन्तुक के अनुसार'' को शब्दों ''परन्तु यह कि उन मामलों में जहां आवेदक के स्थान में कोई भौतिक परिवर्तन है या 100 मेगावाट से अधिक परिवर्तन है।'' शब्दों के बाद जोड़ा जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 12 के खण्ड(1) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया खण्ड जोड़ा जाएगा।

''1(क) प्रक्रिया में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, स्टेज–2 संयोजकता एलटीए के लिए लागू करने के लिए पूर्व अपेक्षा नहीं होगी''

7. मूल विनियम के विनियम 13 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 13 का प्रथम परन्तुक को हटा दिया जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 13 का खण्ड (3) को हटा दिया जाएगा।

8. मूल विनियम के विनियम 15 का संशोधन

(1) मूल विनियम के विनियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

''(1) आवेदक केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के साथ दीर्घकालिक पहुंच के लिए करार पर हस्ताक्षर करेगा यदि दीर्घकालिक पहुंच, उन उपबंधों, जो विस्तृत प्रक्रिया में किए गए हों, के अनुसार केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रदान की जाती है।

(2) केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता से भिन्न अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को दीर्घकालिक पहुंच की मांग करते समय आवेदक केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ त्रिपक्षीय दीर्घकालिक पहुंच करार पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) दीर्घकालिक पहुंच करार में दीर्घकालिक पहुंच के आरंभ की तारीख, ग्रिड में अंतःक्षेपण का स्थान, और ग्रिड से निकासी का स्थान और समर्पित पारेषण लाइनों, यदि कोई हों, के अपेक्षित ब्योरे शामिल होंगे।

(4) यदि पारेषण प्रणाली का संवर्द्धन अपेक्षित है तो दीर्घकालिक पहुंच करार में आवेदक और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की सुविधाओं के निर्माण के लिए समयसीमा, आवेदक द्वारा दी जाने वाले अपेक्षित बैंक गारंटी और विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अन्य ब्यौरे शामिल होंगे।

9. मूल विनियम के विनियम 21 का संशोधन

(1) मूल विनियम के विनियम 21 के खण्ड(1) के दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

''(1क) यदि केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा उन उपबंधों, जो विस्तृत प्रक्रिया में किए गए हों, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की जाती है, तो आवेदक केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के साथ मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के लिए करार पर हस्ताक्षर करेगा।

(1ख) केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता से भिन्न अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की मांग करते समय आवेदक केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ त्रिपक्षीय मध्यकालिक निर्बाध पहुंच करार पर हस्ताक्षर करेगा।

(1ग) मध्यकालिक निर्बाध पहुंच करार में मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की शुरूआत और अंत की तारीख, ग्रिड में पावर के अंतःक्षेपण का प्वाइंट और ग्रिड से निकासी का प्वाइंट तथा समर्पित पारेषण लाइनों के अपेक्षित ब्योरे, यदि कोई हैं, आवेदक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित बैंक गारंटी और विस्तृत क्रियाविधि के अनुसार अन्य ब्योरे शामिल होंगें''

10. मूल विनियम के विनियम 27 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 27के खण्ड(2) के उपखण्ड(ग) को हटा दिया जाएगा।

11. मूल विनियम के विनियम 31 का संशोधन

(1) विनियम 29 हटा दिया जाएगा।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./500/18]

टिप्पण: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 140 द्वारा में तारीख 10.8.2009 को प्रकाशित किए गए तथा निम्नलिखित रूप से संशोधित किए गएः

(क) संशोधित विनियम, 2010 तारीख 7.9.2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4, संख्या 225 में प्रकाशित किए गए।

(ख) द्वितीय संशोधन विनियम, 2012 तारीख 22.3.2012 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग—III, खण्ड 4, क्रम संख्या 72 में प्रकाशित किए गए।

(ग) तृतीय संशोधन विनियम, 2013 तारीख 26.3.2013 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग—III, खण्ड 4, क्रम संख्या 86 में प्रकाशित किए गए।

(घ) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2014 तारीख 21.8.2014 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग—III, खण्ड 4, क्रम संख्या 245 प्रकाशित किए गए।

(ङ) पाँचवा संशोधन विनियम, 2015 तारीख 19.5.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग—III, खण्ड 4, क्रम संख्या 171 प्रकाशित किए गए।

(च) छठा संशोधन विनियम, 2017 जो तारीख 10.3.2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग—III, खण्ड 4, क्रम संख्या 98 प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2019

No. L-1/(3)/2009-CERC.—In exercise of the powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:-

1. Short Title and Commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) (Seventh Amendment) Regulations, 2019.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publications of notification in the Gazette of India.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:

(1) The sub-clause (b)(i)(a) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(a) A generating station other than Renewable Energy Generating station, with installed capacity of 250 MW and above, including a captive generating plant of exportable capacity of 250 MW and above or;"

(2) The following sub-clause shall be added after sub-clause (b)(i)(a) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, namely:

"(aa) A Renewable Energy generating station with installed capacity of 50 MW and above, or;"

(3) The sub-clause (b)(i)(b) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(b) A Hydro Generating station of installed capacity between 50 MW and 250 MW."

(4) The sub-clause (b)(i)(c) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(c) One of the Hydro Generating stations or standalone storage project individually having less than 50 MW installed capacity, but collectively having an aggregate installed capacity of 50 MW and above, and acting on behalf of all these generating stations or Standalone Storage Project, and seeking connection from CTU at a single connection point at the pooling sub-station forming part of ISTS, termed as the lead generator, or;"

(5) The following sub-clause shall be added after sub-clause (b)(i)(c) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, namely:

"(cc) Renewable Energy generating station individually having less than 50 MW installed capacity, but collectively having an aggregate installed capacity of 50 MW and above, and one of them acting on behalf of all these generating stations, and seeking connection from CTU at a single connection point at the pooling sub-station forming part of ISTS, termed as the lead generator, or"

(6) The sub-clause (b)(i)(e) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(e) Any renewable energy generating station of 5 MW capacity and above developed by a generating company within or outside the premises of its existing generating station of the description referred to in sub-clauses (b)(i)(a) to (cc) of this clause and seeking connectivity to the existing connection point with inter-State Transmission System through the electrical system of the generating station subject to availability of Connectivity capacity in existing station as assessed by CTU."

(7) The following sub-clause shall be added after sub-clause (b)(i)(e) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, namely:

"(ee) Any renewable energy generating station of 5 MW capacity and above developed by a Renewable power park developer within or outside the premises of its existing Power Park of the description referred to in sub-clauses (b)(i)(g) of this clause and seeking connectivity to the existing connection point with inter-State Transmission System through the electrical system of the Renewable Power Park subject to availability of Connectivity capacity in existing Power Park as assessed by CTU;"

(8) The sub-clause (b)(i)(f) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(f) Any company or entity authorized by the Central Government or State Government as Renewable Power Park developer or;"

(9) The following two sub-clauses shall be added after sub-clause (b)(i)(f) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, namely:

"(g) Any company or entity designated by the Central Government or State Government as Renewable Energy Implementing Agency on behalf of the Renewable Energy Generating Station(s)of the description under Clause 2(1)(b)(i)(aa) and 2(1)(b)(i)(cc) or;

(h) Project based on standalone storage source(s) of installed capacity 50 MW or above."

(10) Sub-clause (b)(ii)of clause (1) of Regulation 2 of the Principle Regulations shall be substituted as under:

"(ii) A generating station including a captive generating plant, a consumer, an electricity trader or a distribution licensee or applicant covered under Clauses 2(1)(b)(i)(a) to (e) and 2(1)(b)(i)(h), in respect of long-term access or medium-term open access, as the case may be;"

(11) Sub-clause (b)(iii)of clause (1) of Regulation 2 of the Principle Regulations shall be substituted as under:

"(iii) Applicants covered under Clause 2(1)(b)(i)(f) and Clause 2(1)(b)(i)(g), in respect of long term access."

(12) The following sub-clause shall be added after sub-clause (k) of clause(1) of Regulation 2 of the Principal Regulations,

"(k-a) "Renewable Energy Implementing Agency" means a company or entity designated by the Central Government or the State Government to act as Intermediary Procurer to selectand buy power from Renewable energy generating station(s) and sell the same to one or more distribution licensees or any other personin accordance with the Guidelines issued from time to time by the Ministry of Power, Government of India or the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India or the State Government."

(13) The following sub-clauses shall be added after sub-clause (r) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, namely :

"(r-a) "Renewable Energy Generating Station" shall mean a generating station based on any renewable source of energy, and shall include Renewable Hybrid Generating Station;

(r-b) "Renewable Hybrid Generating Station" shall mean a generating station based on hybrid of any renewable source(s) with or without storage;

(r-c) "Renewable Hybrid Power Park" shall mean the Power Park based on hybrid of any renewable source(s) with or without storage;

(r-d) "Renewable Power Park Developers" shall mean a Solar Power Park Developer or Wind Power Park Developer or Renewable Hybrid Power Park Developer;"

(14) The following sub-clause shall be added after sub-clause (u) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations:

"(u-a) "Storage" means energy storage system utilizing methods and technologies like, Solid State Batteries, Flow Batteries, Pumped Storage hydro-power, Compressed Air, or

any other technology, to store various forms of energy and deliver the stored energy in the form of electricity;"

3. **Amendment of Regulation 5 of the Principal Regulations**:

(1) The First proviso of Regulation 5 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"Provided that an application for connectivity is not required to be made by any transmission licensee;"

(2) A new Clause (5A) shall be added after existing Regulation 5 as follows:

"(5A) Processing of Applications

(a) All Applications shall be made online in accordance with detailed Procedure.

(b) The applications complete in all respects, received online shall have a time and date stamp. Further, such applications received by 24:00 hrs. of the last day of the month shall be deemed to have been received during the month and shall be processed after the end of the month.

(c) Upon submission of the online application, auto-generated acknowledgement for receipt of application shall be issued by the nodal agency.

(d) After scrutiny, nodal agency shall intimate the deficiencies in the application, if any, to the applicant within one week of receipt of application. The applicant shall rectify the deficiency within one week thereafter, failing which the application shall be closed and 20% of the application fees shall be forfeited and balance shall be refundedand the Bank Guarantee, if any, shall be returned within 15 days of closure of the application. If the rectified application is received from the applicant after 24:00 hrs of the last day of the month in which application is made, application shall be deemed to have been made in subsequent month and shall be processed accordingly."

4. **Amendment of Regulation 8 of the Principal Regulations**:

(1) The First Proviso to Regulation 8 (1) shall be substituted as under:

"Provided that where after filing of an application, there has been a material change in the location or in the quantum of power to be interchanged with the inter-state transmission system, by more than 100 MW or 40% of the installed capacity, whichever is less, in the case of applicant defined under sub-clauses (b)(i)(a), (b)(i)(aa), (b)(i)(b), (b)(i)(d), (b)(i)(e), (b)(i)(f), (b)(i)(g)and (b)(i)(h) and 100MW or 40% of the aggregate installed capacity, whichever is less, in the case of applicant defined under sub-clauses (b)(i)(c) and (b)(i)(cc), of Clause (1) of Regulation 2, such an applicant shall make a fresh application, which shall be considered in accordance with these regulations:

Provided further that such change in quantum of power to be interchanged with inter-State transmission system shall be allowed only if the applicant remains eligible under clause 2(1)(b);"

(2) A new proviso shall be added after first proviso to clause (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations as under:

"Provided that an applicant connected with the grid or granted connectivity for a specific project can, with prior approval of CTU, utilize the same Connectivity for additional generation capacity (for same or hybrid of renewable sources), subject to the condition that net injection at any point of time does not exceed the quantum of total Connectivity granted for the original project.For such additional generation capacity, the said generating station shall undertake all operational and commercial responsibilities for the additional capacity for compliance of the provisions of the Indian Electricity Grid Code and all other regulations of the Commission, such as grid security, scheduling and dispatch, collection and payment/adjustment of Transmission charges, charges for deviation, congestion and other charges etc., and submit an undertaking in the prescribed format in this regard to the CTU, with copy to the respective RLDC in whose control area it is located. The applicant shall make an application to CTU for Connectivity for additional capacity and pay application fee as specified in Regulation 6 of these Regulations;"

(3) Further, in the 3rd proviso to Regulation 8(1) (after the 6thamendment), the words "and Regulation 2(1)(b)(i)(cc)" shall be added after the words "Provided further that the application by the applicant defined under Regulation 2(1)(b)(i)(c)".

(4) The Fourth Proviso to Regulation 8 (1) (after 6th amendment) shall be substituted as under:

"Provided also that the Renewable Power Park Developer is authorised by the Central or State Government to undertake infrastructural activities including arrangement for connectivity on behalf of the Renewable power generators;"

(5) A new Clause (1A) shall be added after existing clause (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations as under:

"(1A) Projects based on storage source (s) shall apply for connectivity for the quantum of maximum injection or maximum drawal whichever is higher and shall sign separate agreement for both injection and drawal of power;"

(6) The following sub-clauses shall be added after Clause (2) of regulation 8 of the Principal Regulations:

"(2A) Applications for grant of Connectivity made by applicants covered under sub-clauses (aa), (cc), (f), (g) and (h) of Clause (1)(b)(i) of Regulation shall be processed in the following two stages:
(a) Stage-I Connectivity
(b) Stage-II Connectivity

(2B) Grant of Stage-I and Stage-II Connectivity shall be as per the Detailed Procedure issued from time to time:

Provided that the Detailed Procedure for grant of Connectivity to Projects based on renewable Sources to inter-State transmission system issued vide order dated 15.5.2018 in File No. L-1/(3)/2009-CERC shall be deemed to have been issued under these Regulations.

(2C) In case of an applicant covered under sub-clause (b)(i)(g) of clause (1) of Regulation 2, the connectivity and LTA granted to such an applicant may be transferred or assigned, in part or full, in favour of the Renewable Energy Generating Stations selected by the said applicants after award of the project. On transfer or assignment of connectivity and LTA, such Renewable Energy Generating Stations shall enter into Connectivity and LTA Agreement with CTU and accept all responsibilities and liabilities for connectivity as required under these Regulations and Detailed Procedure:

Provided that up to such transfer or assignment, such Applicant shall be liable for all regulatory, operational and commercial obligations of a connectivity and LTA grantee:

Provided further that upon transfer or assignment, the transferee Renewable Energy Generating Stations shall be liable for all regulatory and commercial obligations of a connectivity and LTA grantee for the quantum of connectivity and LTA so transferred or assigned."

(7) The following new sub-clauses shall be added after Clause (3) of regulation 8 of the Principal Regulations:

"(3A) Not withstanding any provision to the contrary in any other Regulations or the Procedure, applicants covered under sub-clauses(aa), (cc), (f), (g) and (h) of clause (1)(b)(i) of Regulation 2 shall be grant Stage-I Connectivity by CTU by indicating one location and such other information as required under Clause (3)of this Regulation:

Provided that if the capacity in the said location is fully allocated to Stage-II grantees, the balance Stage-I grantees shall be allocated Stage-II Connectivity to an alternate location."

(8) The sub-clause (8) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"The dedicated transmission line from generating station of the applicant generating Company or any other entity on behalf of generating company to the pooling station of the transmission licensee (including deemed transmission licensee) shall be developed, owned and operated by the applicant generating Company or any other entity on behalf of generating company. The specifications for dedicated transmission lines may be indicated by CTU while granting Connectivity or Long term Access or Medium term Open Access:

Provided that CTU shall plan the system such that maximum length of dedicated transmission line does not exceed 100 km from switchyard of the applicant till the nearest pooling substation of transmission licensee:

Provided further that dedicated transmission line may exceed 100 km, if such an Applicant, so chooses:

Provided also that in case any connectivity grantee is not utilizing the bay allocated to it at ISTS substation, CTU may cancel its Connectivity as per provisions of these regulations and detailed procedure and allocate the bay to other Applicant. In such an event, the original grantee shall either dismantle its bay or enter into an Agreement with a new

grantee as indicated by CTU for utilization of the bay within a period of 2 months of cancellation of Connectivity.

(9) A new Clause shall be added after regulation 8 of the Principal Regulations:

"8A. Transfer of Connectivity and LTA

A person shall not transfer, assign or pledge its connectivity or LTA either in full or parts and the associated rights and obligations to any other person:

Provided that the above provision shall not be applicable to applicants defined under Regulation 2(1)(b)(i)(g):

Provided further that 100% subsidiary companies shall be allowed to transfer their connectivity and LTA to the parent company and vice versa one year after achieving commercial operation of Renewable Energy generating station(s):

Provided further that transfer of Connectivity and LTA from the parent company to more than one 100% subsidiary shall be permitted one year after the commercial operation of the generating station of the last subsidiary and subject to minimum capacity as per Regulation 2(1)(b):

Provided also that till such Connectivity and LTA are transferred, the concerned subsidiary company(ies) shall be allowed to utilize the Connectivity and LTA granted to the parent company and vice versa."

5. Amendment of Regulation 9 of the Principal Regulations:

(1) The Clause (1) of Regulation 9 of the Principal Regulations, the word "awarding" shall be substituted with the word "granting".

6. Amendment of Regulation 12 of the Principal Regulations:

(1) In the Third Proviso to Clause (1) of Regulation 12 of the Principal Regulations, the words "except in cases involving Renewable Energy generating Station(s)," shall be added after the words "Provided also that".

(2) In the Fifth Proviso to Clause (1) of Regulation 12 of the Principal Regulations, the words "or 40%, as the case may be, as per first proviso to Regulation 8(1)" shall be added after the words "Provided also that in cases where there is any material change in location of the applicant or change by more than 100 MW".

(3) A new Clause shall be added after Clause (1) of Regulation 12 of the Principal Regulations as under:

"(1A) Not withstanding anything to the contrary in the Procedure, Stage-II Connectivity shall not be a pre-requisite for applying for LTA."

7. Amendment of Regulation 13 of the Principal Regulations:

(1) The First proviso of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be deleted.

(2) The Clause (3) of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be deleted.

8. Amendment of Regulation 15 of the Principal Regulations:

(1) The Regulation 15 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(1) The applicant shall sign an agreement for long-term access with the Central Transmission Utility in case long-term access is granted by the Central Transmission Utility, in accordance with the provision as may be made in the detailed procedure.

(2) While seeking long-term access to an inter-State Transmission licensee, other than the Central Transmission Utility, the applicant shall sign a tripartite long-term access agreement with the Central Transmission Utility and the inter-State Transmission licensee.

(3) The long–term access agreement shall contain the date of commencement of long-term access, the point of injection of power into the grid and point of drawal from the grid and the details of dedicated transmission lines, if any, required.

(4) In case augmentation of transmission system is required, the long-term access agreement shall contain the time line for construction of the facilities of the applicant and the transmission licensee, the bank guarantee required to be given by the applicant and other details in accordance with the detailed procedure."

9. Amendment of Regulation 21 of the Principal Regulations:

(1) The Second proviso to clause (1) of Regulation 21 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(1A) The applicant shall sign an agreement for medium-term open access with the Central Transmission Utility in case medium-term open access is granted by the Central Transmission Utility, in accordance with the provision as may be made in the detailed procedure.

(1B) While seeking medium-term open access to an inter-State Transmission licensee, other than the Central Transmission Utility, the applicant shall sign a tripartite medium-term open access agreement with the Central Transmission Utility and the inter-State Transmission Licensee.

(1C) The medium–term open access agreement shall contain the date of commencement and end of medium-term open access, the point of injection of power into the grid and point of drawal from the grid, the details of dedicated transmission lines required, if any, the bank guarantee required to be given by the applicant and other details in accordance with the detailed procedure."

10. Amendment of Regulation 27 of the Principal Regulations:

(1) The sub-clause (c) of Clause (2) of Regulation 27 of the Principal Regulations shall be deleted.

11. Amendment of Regulation 29 of the Principal Regulations:

(1) The Regulation 29 shall be deleted.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./500/18]

Note: Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009 were published in Part III, Section 4, No. 140 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 10.08.2009 and amendedvide –

(a) Amendment Regulations, 2010 which was published in Part III,Section 4, No. 225 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 07.09.2010.

(b) Second Amendment Regulations, 2012 which was published in PartIII, Section 4, No. 72 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 22.03.2012.

(c) Third Amendment Regulations, 2013 which was published in Part III,Section 4, No. 86 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 26.03.2013

(d) Fourth Amendment Regulations, 2014 which was published in Part III,Section 4, No. 245 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 21.08.2014.

(e) Fifth Amendment Regulations, 2015 which was published in Part III,Section 4, No. 171 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 19.05.2015.

Sixth Amendment Regulations, 2017 which was published in Part III,Section 4, No. 98 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 10.03.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.31 15:05:48 +05'30'